

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/97/2015

दर्ज दिनांक:- 28.08..2015

1. बाबूलाल पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. बदनी पता-

..

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

ध्रुवसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-07.03.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं. 1, 2 की तलवी रजिस्टर एडी से कराये के आदेश है। किन्तु बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी तलवी नहीं कराई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किय गया है। प्रतीत होता है कि वादीगण अपने दावा को चलने में इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अन्तर्गत ओ.-9-आर.5-सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर